मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 201

21.07.2025 को उत्तर के लिए

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

201. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में चिह्नित किए गए वन ग्रामों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का ऐसे ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो उक्त ग्रामों को कब तक राजस्व ग्रामों में परिवर्तित कर दिया जाएगा; और
(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने तथा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए वन भूमि के अपरक्षण/अपवर्तन के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 28 जनवरी, 2019 के आदेश के अनुसार गांवों के स्थानांतरण के लिए समेकित दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरणों के अध्याय 12 के पैरा 12.8 और 12.9 के तहत दिनांक 29.12.2023 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कुछ शर्तों के अधीन कोर/संकटमय बाघ अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों) को कोर से आरक्षित वन/अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि में गांवों के स्थानांतरण/पुनर्वास के संबंध में हैं।

इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन)

अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रस्तावों का विवरण परिवेश पोर्टल (www.parivesh.nic.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 'भूमि' राज्य का विषय है। वन क्षेत्र और उनकी कानूनी सीमाओं का निर्धारण और रखरखाव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। भूमि अभिलेखों का संग्रह होने के नाते, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वह वन ग्रामों का विवरण बनाए रखे।

*****